राजस्व वाद सख्या 310/2014 अनवान सतवीरसिंह बनाम सुखदेवसिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2019	प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में लिये जानें का निवेदन किये जानें पर पत्र पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 29 की और से श्री शिवराजसिंह बराड़ अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 29 ने राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष के अधिवक्तागण की पहचान पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 29 के मध्य राजीनामा हो गया है जो श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी अपनें वाद पत्र में धारा 53 आर.टी.ए. (खाता विभाजन) का अनुतोष नहीं चाहता है। वादी का अनुतोष धारा 88 आर.टी.ए. (घोषणा) की हद तक स्वीकार किया जाकर वाद वादी निस्तारण फरमाया जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं करनें पर वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.07 13:19:11 IST
Reason: SelfAttested